न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 85/2020

अनवान : –

1. प्रियंका पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सरोज पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास माधोसिंघाना तहसील व जिला सिरसा।
2. मंजू पुत्री हरीसिंह पत्नी राजेश जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास काबरेल तहसील व जिला हिसार
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 21/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 114/437 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व खाता स0 115/95 की कुल 12.1540 हैक्ट भूमि में वादीया व प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/15 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में हजारी पुत्र जीता के नाम दर्ज थी। हजारी से उक्त भूमि हरिसिंह यानि की वादीया के पिता के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीया व प्रतिवादी स0 2 का जन्मजात हक हिस्सा था एवं उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज हो गयी लेकिन सरोज यानि की प्रतिवादी स0 1 द्वारा माधोसिंघाना के देवकरण से दुसरी शादी कर ली गई है इसलिए गैरसायल स0 1 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है एवं वादीया व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 द्वारा दुसरी शादी कर ली गई है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज है इसलिए वादीया प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 को बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:01:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने [illegible] वादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने [illegible] दावा मय काउंट[illegible] इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता एक बेवा अनपढ़ महिला [illegible] एवं परिवार के लाल[illegible]न का एक मात्र सहारा यह कृषि भूमि है एवं वादीया स्वयं देवेन्द्र कुमार के साथ लिवइन में रह रही है एवं वादीया को परिवार एव चल व अचल सम्पति से बेदखल किया जा चुका है। उक्त भूमि में

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया का कोई हक हिस्सा नही है इसलिए वादीया का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार कर वादीया का वाद खारिज फरमावे।

साक्ष्य में वादीया प्रियंका के बयान लेखबद्ध किये गये। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी 7 बारानी ईएक्सपी–1, बरवाली ईएक्सपी–2, नामान्तरण स0 646 चक 7 बारानी ईएक्सपी–3, नकल जमाबंदी रोही मौजा चक 7 बारानी खाता स0 114 ईएक्सपी–4, नकल जमाबंदी रोही मौजा 7 बारानी खाता स0 115 ईएक्सपी–5, चित्रप्रति नामान्तरण प्रशासन गांवों के संग अभियान, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरिसिंह, बाधो, हजारी, चित्रप्रति वारिसा प्रमाण पत्र, नकल वोटरलिस्ट, आधार कार्ड आदि पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त भूमि पूर्व में हजारी पुत्र जीता के नाम दर्ज थी। हजारी से उक्त भूमि हरिसिंह यानि की वादीया के पिता के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीया व प्रतिवादी स0 2 का जन्मजात हक हिस्सा था एवं उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज हो गयी लेकिन सरोज यानि की प्रतिवादी स0 1 द्वारा माधोसिंघाना के देवकरण से दुसरी शादी कर ली गई है इसलिए गैरसायल स0 1 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है एवं वादीया व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 द्वारा दुसरी शादी कर ली गई है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज है इसलिए वादीया प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 को बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की उत्तरदाता एक बेवा अनपढ़ महिला है एवं परिवार के लालन पालन का एक मात्र सहारा यह कृषि भूमि है एवं वादीया स्वयं देवेन्द्र कुमार के साथ लिवइन में रह रही है एवं वादीया को परिवार एव चल व अचल सम्पति से बेदखल किया जा चुका है। उक्त भूमि में वादीया का कोई हक हिस्सा नही है इसलिए वादीया का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीया का वाद खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीया का कथन है कि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद भूमि है वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के हक व हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी स0 1 द्वारा अन्यत्र शादी करने के कारण अब उक्त भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है इसलिए प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीया का कथन है की प्रतिवादी स0 1 ने देवकरण के साथ शादी कर ली है जबकि वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादी स0 1 द्वारा अन्यत्र शादी किया जाना साबित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीया स्वयं लिवइन में देवेन्द्र के साथ रहती है। इसलिए वादीया का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। लेकिन लिवईन में रहने से किसी के खातेदार अधिकार खत्म नही होते है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम विरासतन दर्ज हुई है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 तीनों के नाम बहिब दर्ज हुई है जो की सही दर्ज ह। उपरोक्त विवेचनास्वरूप वादी का वाद साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है एवं प्रतिवादी का काउंटर क्लेम भी साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:01:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 85 / 2020

अनवान : –

1. प्रियंका पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सरोज पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास माधोसिंघाना तहसील व जिला सिरसा।
2. मंजू पुत्री हरीसिंह पत्नी राजेश जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास काबरेल तहसील व जिला हिसार
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 85 सन 2020 निर्णय दिनांक 21/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रणवीर चिड़दिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत नही होने के कारण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:01:00 IST
Reason: SelfAttested